>

Title: Regarding ban on plastic bags in Rajasthan.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है। मैं आपका ध्यान भारत सरकार की एक अधिसूचना जो 2 सितम्बर 1999 की है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। वह वन और पर्यावरण मंत्रालय की है। उसमें कैरी बैग को बैन करने की बात कही गयी है। हमारी राजस्थान सरकार ने 1 अगस्त 2010 से सभी तरह की प्लास्टिक थैलियां बैन कर दी हैं। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन वर्ष 1999 की अधिसूचना में कैरी बैग का जो डिजाइन दिया गया है, हम चाहते हैं कि केवल वह ही प्रतिबन्धित हो।

महोदय, इसमें समस्या क्या आयी है, अधिसूचना में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई दूध को पैक करेगा, मिल्क को पैक करेगा, कोई ब्लड को पैक करेगा, कोई नर्सरी के पौधे को पैक करेगा तो ये उसमें अपवाद हैं। यह बात अधिकारी जनता को नहीं बता रहे हैं। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि हमारे यहां पर पकौड़ी, कचौरी, दूध, चाट, रसगुल्ला, दाल इन्हें खाने वाले बहुत लोग हैं। वे सुबह-सुबह जाते हैं कि भाई साहब एक कचौरी देना, तो वह कचौरी तो कागज के लिफाफे में दे देगा, लेकिन वह चाट किसमें देगा। चाट कागज के लिफाफे में नहीं दी जा सकती है। कोई दो रसगुल्ले लेगा तो वह रसगुल्ले तो दे देगा, लेकिन अगर कोई उसका रस लेना चाहता है तो वह रस किसमें देगा। मेरा यह कहना है कि अगर कोई डोरी से बांधकर चाट देता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां के मजदूरों के प्रतिनिधि मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि हम नौ बजे मजदूरी करने जाते हैं। हम दाल लेने जाते हैं तो वह कहते हैं कि नहीं, नहीं, आप इसे पैकिंग से पैक करके ले जाओ।

MR. CHAIRMAN: You come to the point.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मेरा यह कहना है कि वन और पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार यह तय करें कि नियम लागू करते समय जो इनफोर्समेंट ऐजेंसी है, उसे अधिसूचना के अनुसार ही कार्यवाही हेतु पाबंद करें और उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे रोकें। यही मेरी भारत सरकार से मांग है।